

कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1819030 दिनांक 30-08-2018

पत्र सं०- ज्वा०कमि०/ मु० / स०प०/वि०अनु०शा० कार्य प्रणाली/2018-19/ 1440 /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र०  
(वि०अनु०शा०-अनुभाग)  
लखनऊ:: दिनांक: 29, अगस्त, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण से संबंधित वि०अनु०शा० इकाइयों की कार्य प्रणाली के संबंध में वि०अनु०शा०-अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 471/1819012 दिनांक- 24-05-18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके पृष्ठ- 02 के बिन्दु संख्या-02 से निम्न निर्देश जारी किये गये थे:-

"वि०अनु०शा० जांच की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। वीडियो ग्राफी हेतु वि०अनु०शा० इकाई के सदस्यों द्वारा बॉडीबोर्न कैमरे का प्रयोग किया जायेगा तथा इसके लिये कैमरे का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जाएगा। जब तक बॉडीबोर्न कैमरे का क्रय नहीं किया जाता है, तब तक सामान्य वीडियो कैमरे द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाये।"

वि०अनु०शा० जांचो की वीडियोग्राफी की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर किये जाने पर यह पाया गया कि अधिकांश वि०अनु०शा० इकाइयो द्वारा बिना वीडियोग्राफी कराये वि०अनु०शा० जांच की जा रही है, जो उचित नहीं है। इस संबंध में दिनांक- 20.08.2018 को मुख्यालय स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में उक्त परिपत्र से प्रसारित निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु जोनल स्तर पर नियमानुसार बॉडीबोर्न कैमरे का क्रय शीघ्र कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः उक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जोनल स्तर पर बॉडीबोर्न कैमरे का क्रय कार्यालय व्यय से शीघ्र नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए उक्त परिपत्र से प्रसारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि उक्त के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ से अनुरोध कर बजट प्राप्त कर लिया जाए।

उक्त पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

*mshe*  
29/8/18  
(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

- 1- विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।